(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 12 / 2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022 / 1

बउनवान

1. देवकी नन्दन उम्र 33 वर्ष पुत्र हरिचरण मीणा निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारॉ
2. कृष्णमुरारी उम्र 30 वर्ष पुत्र हरिचरण मीणा निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारॉ
3. सुरेन्द्र उम्र 26 वर्ष पुत्र हरिचरण मीणा निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारॉ

(अपीलांटगण)

बनाम

1. मनोहर बाई उम्र 50 वर्ष पत्नि स्व. हरिचरण मीणा निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारॉ
2. विकास उम्र 20 वर्ष पुत्र हरिचरण मीणा निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारॉ
3. निर्मला उम्र 38 वर्ष पुत्री हरिचरण पत्नि मेघराज मीणा निवासी छजावा तहसील अटरू जिला बारॉ
4. फुलन्ता बाई उम्र 28 वर्ष पुत्री हरिचरण पत्नि पुरूषोत्तम मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मॉगरोल
5. ललिता उम्र 24 वर्ष पुत्री हरिचरण पत्नि यशपाल मीणा निवासी खडीला तहसील अटरू
6. कुन्ती उम्र 22 वर्ष पुत्री हरिचरण पत्नि देवेन्द्र कुमार मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 276 दिनांक 23.12.2020 वाके ग्राम लोलाहेडी तहसील अटरू एवं इंतकाल नम्बर 262 दिनांक 23.12.2020 ग्राम आमापुरा तहसील अटरू जिला बारॉ अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–	1– श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक	(अपीलांट)
	2– श्री दुल्हे सिंह अभिभाषक	(रेस्पो. क्रम 1,2,4,5,6)
	4– अनुपस्थित	(रेस्पो. क्रम 3)
	3– पेरोकार सरकार	(रेस्पो. क्रम 7)

निर्णय दिनांक 09.12.2022

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 276 दिनांक 23.12.2020 वाके ग्राम लोलाहेडी तहसील अटरू एवं इंतकाल नम्बर 262 दिनांक 23.12.2020 ग्राम आमापुरा तहसील अटरू जिला बारॉ से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 20.01.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पो. क्रम 1,2,4,5,6 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पो. क्रम 7 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से उक्त इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई, जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम लोलाहेडी व ग्राम आमापुरा तहसील अटरू जिला बारॉ मे निम्न भूमियां स्थित है। ग्राम लोलाहेडी तहसील अटरू मे खाता संख्या 93 कुल एक किता रकबा 0.11 है0 खाता संख्या 94 कुल 7 किता रकबा 3.43 है0, खाता संख्या 95 कुल 3 किता रकबा 5.03 है0। एवं ग्राम आमापुरा तहसील अटरू मे खाता सुख्या 78 कुल 2 किता कुल रकबा 2.46 है0। यह कि उपरोक्त भूमिया पूर्व मे हरिचरण पुत्र अमरलाल जाति मीणा निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारॉ के खाते की थी, हरिचरण का देहान्त हो गया तथा उसका सजरा इस प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:58:07 IST
Reason: Self Attested

हरिचरण (फोत) जिसकी पत्नि मनोहर बाई एवं पुत्र देवकीनन्दन, कृष्णमुरारी, सुरेन्द्र, विकास एवं पुत्रियां निर्मला, फुलन्ता, ललिता, कुन्ती है। यह भूमिया। हरिचरण पुत्र अमरलाल जाति मीणा के खाते की थी, जिसका देहान्त हो गया है तथा पक्षकारान उसके पुत्र, पुत्रिया व बेवा है। मृतक हरिचरण जाति से मीणा था, जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा मे आता है तथा अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू कानून लागू नही होगा। हिन्दू कानून की धारा 2 के अनुसार जब तक राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी नही कर दे, तब तक पुत्रियों को या महिला सदस्यों को पत्नि के अलावा उत्तराधिकार मे कृषि भूमियों मे कोई अधिकार प्राप्त नही होता है तथा राजस्थान मे ऐसी कोई अधिसूचना जारी की हुई नही है। इस पर राजस्व मण्डल अजमेर एवं उच्च न्यायालय जोधपुर मे भी गई दृष्टांत है जिनके अन्दर पुत्र होने पर पुत्रियों को कृषि भूमि मे कोई अधिकार नही मिलते है। इस प्रकरण मे भी मृतक हरिचरण के चार पुत्र जीवित है तथा एक बेवा मौजूद है, किन्तु जो चार लडकिया, जो इस प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम 03 ता 06 को मृतक हरिचरण की भूमियों मे कोई अधिकार प्राप्त नही होते है तथा उनके नाम जो नामान्तरकरण दर्ज किये गये है वह गलत है।

यह कि तहसीलदार अटरू ने नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त अपीलांटगण को नामान्तकरण तस्दीक करने की कोई सूचना नही दी तथा नामान्तरकरण तस्दीक करते समय पुत्रियों के नाम रख दिये। जबकि वादग्रस्त भूमियों पर आज भी हरिचरण के पुत्र व बेवा काबिज है। पुत्रियों का कोई कब्जा नही है। यह कि हरिचरण की मृत्यु पर नामान्तरकरण तहसील अटरू ने तस्दीक नही किया तथा कोरोना व अभियान का बहाना लेकर टालते रहे, जो इंतकाल दिनांक 23.12.2020 को तस्दीक किये गये थे, उसकी अपीलांटगण को कोई जानकारी नही दी, ना ही कोई सूचना दी। अपीलांटगण को इंतकाल नं0 262 व 276 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.12.2021 को हुई जब पटवारी हल्का ने बताया, तब उन्होने दिनांक 27.12.2021 को नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिया व दिनांक 28.12.2021 को नकल मिली, अतः नकल मिलने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः दिनांक 23.12.2020 से दिनांक 26.12.2021 तक की अवधि जानकारी के अभाव मे कन्डोन फरमायी जावे तथा अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। इसके लिये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश कर दिया गया है। अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष सर्मथन मे न्यायिक दृष्टांत RAJASTHAN HIGH COURT JAIPUR BANCH 2014 (2) RRT 901 Bhooli Vs. Chanda & Ors S.B. Civil Second Appeal Nos 137 To 142 of 2013 Decided 0n 07-04-2014 एवं THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER 2016 (1) RRT 196 Jana Bai Vs Ramnathi bai Appeal Decree TA No 11271/Kota of 2001 Decided 31-07-2015 एवं RAJASTHAN HIGH COURT 2021 (1) RRT 705 Nenu Vs Tikma &Ors S-b- Civil Wrir Petition No 10174 of 2020 Decided 09.03.2021 प्रस्तुत कर अपीलांटगण स्वीकार की जाकर इंतकाल नम्बर 276 दिनांक 23.12.2020 ग्राम लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारॉ एवं इंतकाल नम्बर 262 दिनांक 23.12.2020 ग्राम आमापुरा तहसील अटरू जिला बारॉ निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 03 ता 06 के नाम नामान्तरकरण से हटवाये जाने के निर्देश दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि बहस के दौरान अपीलांट के अधिवक्ता महोदय द्वारा जो जजमेन्ट/रूलिंग पेश किये है, वह सब जजमेन्ट घोषणात्मक दावे के जजमेन्ट है। जो अपीलांट द्वारा कोई दावा पेश नही किया गया है और दावे से ही तय होता है कि मीणा जाति मे पुत्रियों का पैतृत सम्पत्ति मे अधिकार होता है या नही होता है। श्रीमान के न्यायालय मे इंतकाल के विरूद्व अपील पेश की गई है, ना कि दावे की इंतकाल एक प्रक्रिया है जो तहसीलदार अटरू द्वारा उक्त आराजी मे वारिसान का इन्तकाल खोला गया है जो कानून व विधिक प्रकिया के बाद ही खोला गया है। कोई भी तहसीलदार किसी विधिक उत्तराधिकारी को अपने हक अधिकार से वंचित नही कर सकता। उक्त विवादित क[illegible] पैतृक आराजी है। यह कि उक्त इंतकाल के विरूद्व घोषणात्मक दावा किया जाना चाहिये था ना [illegible] अपील। उक्त इन्तकाल की अपील मे राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू को नोटिस जारी नही किये गये है और न तामील हुई है। इसलिये न्यायहित मे उनको भी सुनना आवश्यक है जिससे स्पष्ट हो सके कि यह इंतकाल अनलीगल एवं दूषित प्रक्रिया से खोला गया है। इसलिये अपील खारिज करने योग्य है क्योकि इन्तकाल प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा कानूनी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही खोला गया है। रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष सर्मथन मे न्यायिक दृष्टांत IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Appeal LR No 5104/ Chittorgarh of 2007 prem Chand Meena Versus Sunder Bai Meena Date of Order 29-01-2014 प्रस्तुत की जाकर अपील अपीलांटगण खारिज फरमायी जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:58:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया, प्रकरण मे उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाकर मनन किया गया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 276 दिनांक 23.12.2020 वाके ग्राम लोलाहेडी तहसील अटरू एवं इंतकाल नम्बर 262 दिनांक 23.12.2020 ग्राम आमापुरा तहसील अटरू जिला बारॉ जो तस्दीक किये गये है वह हरिचरण (मृतक) के जायज पुत्र, पुत्रिया एवं बेवा के नाम तस्दीक किये गये है। इस प्रकार उक्त इंतकाल मे किसी प्रकार की त्रुटि नही पाये जाने से इंतकाल यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:58:07 IST
Reason: SelfAttested